संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं

सतपुड़ा भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश

E-mail : idspssu@mp.gov.in, Phone : 0755.4094192

क्र./आई.डी.एस.पी./19/127 भोपाल, दिनांक 26/03/2019

प्रति,

1. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, म.प्र.
2. सिविल सर्जन सह-अस्पताल अधीक्षक, म.प्र.

विषय :- स्वाईन फ्लू की रोकथाम, जांच एवं उपचार हेतु दिशा निर्देश के पालन के संबंध में।

उपरोक्त विषय में लेख है कि प्रदेश में जनवरी से आजतक स्वाईन फ्लू के प्रकरणों एवं इससे होने वाली मृत्यु में वृद्धि हो रही है। इसकी रोकथाम, जांच एवं उपचार हेतु दिशा निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करें।

- समस्त शासकीय एवं निजी अस्पतालों में अलग से सर्दी-खाँसी, बुखार के मरीजों के लिए ओ.पी.डी. में रजिस्ट्रेशन काउटंर पृथक से बनाये जाये एवं रोगी की पर्ची पर स्वाईन फ्लू क्लीनिक की सील लगाकर दी जावे। अन्य विभागों की ओ.पी.डी. में भी यदि सर्दी-खाँसी, बुखार का मरीज आये तो उसे स्वाईन फ्लू ओ.पी.डी. में जाकर जाँच करवाने हेतु कहा जायें।
- स्वाईन फ्लू केटेगरी, उनका उपचार एवं हाई रिस्क संबंधित जानकारी एल.डी. फॉर्म पर तीन जगह – स्वाईन फ्लू ओ.पी.डी. रजिस्ट्रेशन कक्ष के समीप, चिकित्सक कक्ष के भीतर एवं बाहर लगावे।
- स्वाईन फ्लू क्लीनिक में सर्दी-खाँसी, बुखार के मरीजों की परीक्षण उपरान्त पल्स ऑक्सीमीटर द्वारा जाँच करें व इसका रिकार्ड कीपिंग की व्यवस्था की जाये। इसके लिये आवश्यक हो तो चिकित्सक के साथ पैरामेडिकल स्टाफ की ड्यूटी लगावें। स्क्रीनिंग के दौरान मरीजों का पूर्ण विवरण (नाम, पता, मोबाईल नम्बर आदि) रजिस्टर में संधारण किया जाये जिसके माध्यम से मरीजों का फॉलोअप किया जाना सुनिश्चित करें। मरीजों को स्वाईन फ्लू की जानकारी हेतु उन्हे पेम्पलेट वितरीत किये जाये।
- स्वाईन फ्लू केटेगरी अनुसार उनका उपचार करें एवं पल्स ऑक्सीमीटर से उनकी जांच करे तथा ऑक्सीजन सेचुरेशन 92 प्रतिशत से कम होने पर स्वाईन फ्लू संदिग्ध मरीजों को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कर तत्काल उसका सेम्पल एकत्रित कर ओसल्टामिविर (एंटीवायरल) दवाई एवं सर्पोटीव उपचार प्रारभं करें।
- स्वाईन फ्लू मरीज के संपर्क में आये परिजनों को स्वाईन फ्लू हेतु स्क्रीनिंग कर लक्षण होने पर तत्काल आवश्यकतानुसार उपचार उपलब्ध करावें एवं टेमीफ्लू देवे।
- स्वाईन फ्लू आइसोलेशन वार्ड में वेन्टीलेटर की उपलब्धता सुनिश्चित करें।
- समस्त चिन्हित निजी एवं शासकीय अस्पतालों में आइसोलेशन एवं ट्रीटमेन्ट प्रोटोकॉल के पालन हेतु पल्मोनोलॉजिस्ट/स्वाईन फ्लू नोडल अधिकरी द्वारा निरीक्षण करवाया जावे तथा यहां देखा जायें कि मरीज कब भर्ती हुआ और भर्ती होने के तत्काल पश्चात उसका स्वाईन फ्लू की जांच हेतु सेम्पल लिया गया की नहीं ? एवं सेम्पल लेने के तत्काल बाद टेमीफ्लू द्वारा उपचार किया गया की नहीं ?

निरन्तर........2

- स्वाईन फ्लू के उपचार हेतु आवश्यक दवाओं व्ही.टी.एम. किटस्, पी.पी.ई.किटस्, मास्क, आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करें।

- जिला स्तर, ब्लॉक स्तर तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर होने वाली मासिक एवं साप्ताहिक बैठकों में समस्त स्वास्थ्य कार्मियों व आशा कार्यकर्ताओं को स्वाईन फ्लू के रोकथाम एवं उपचार संबंधित जानकारी से दी जायें।

- आपके जिले से भोपाल, ग्वालियर या जबलपुर सेम्पल प्रोटोकॉल के अनुसार कोल्ड चेन में व्ही.टी.एम. में ही विभाग के कर्मचारी द्वारा भेजे जायें, मरीज स्वयं या किसी रिश्तेदार के द्वारा ना भेजा जाये।

- स्वाईन फ्लू के मरीज की एक्शन टेकन रिपोर्ट राज्य सर्विलेन्स इकाई के ईमेल पर swincflu.mp@gmail.com भेजी जायें।

(डॉ.बी.एन.चौहान)
संचालक
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं,म.प्र.
भोपाल, दिनांक /03/2019

पृ.क./आई.डी.एस.पी./19/
प्रतिलिपिः– सूचनार्थ ।

1. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल, म.प्र.।
2. आयुक्त स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, भोपाल, म.प्र.।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम., अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल, म.प्र.।
4. समस्त क्षेत्रीय संचालक, संभागीय स्वास्थ्य सेवाऐं, म.प्र.।
5. समस्त जिला कलेक्टर, म.प्र.।
6. समस्त जिला स्वाईन फ्लू नोडल अधिकारी, म.प्र.।
7. समस्त जिला सर्विलेन्स अधिकारी/जिला एपिडिमियोलॉजिस्ट, म.प्र.।

संचालक
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं,म.प्र.

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं

सतपुड़ा भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश

E-mail : idspssu@mp.gov.in, Phone : 0755-4094192

क्र./आई.डी.एस.पी./19/123 भोपाल, दिनांक 13/03/2019

प्रति,

1. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
2. समस्त सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक
   मध्यप्रदेश।

विषय :— स्वाईन फ्लू/सीजनल इन्फ्लूएन्जा (एच1एन1) के उपचार एवं रोकथाम के संबंध में।

संदर्भ :— संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं के पत्र क्र/आई.डी.एस.पी./3 दिनांक 04.01.2019, पत्र क्र/12 दिनांक 18.01.2019, पत्र क्र/19 दिनांक 24.01.2019, पत्र क्र/21 दिनांक 24.01.2019, पत्र क्र/39 दिनांक 12.02.2019, पत्र क्र/44 दिनांक 14.02.2019, पत्र क्र/46 दिनांक 14.02.2019

विषयांतर्गत में संदर्भित पत्रों एवं इसके पूर्व जारी दिशा निर्देशों के द्वारा आपको स्वाईन फ्लू/सीजनल इन्फ्लूएन्जा (एच1एन1) की रोकथाम व उपचार प्रबंधन हेतु समुचित कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये थे, एवं वर्तमान में स्वाईन फ्लू (एच1एन1) के प्रकरणों में लगातार वृद्धि हो रही हैं। इससे स्पष्ट प्रतित होता है कि राज्य स्तर से जारी संदर्भित पत्रों के माध्यम से दिये गये दिशा—निर्देशों का समुचित पालन/कियांवयन जिलों में नहीं किया जा रहा है।

अतः स्वाईन फ्लू/सीजनल इन्फ्लूएन्जा (एच1एन1) की रोकथाम एवं समुचित उपचार प्रबंधन हेतु निम्नांकित कार्यवाही का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें:—

- स्वाईन फ्लू कि रोकथाम व उपचार प्रबंधन हेतु उपरोक्त संदर्भित सभी पत्रों का अवलोकन करे एवं उनमें उल्लेखित/दिये गये दिशा—निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे।
- स्वाईन फ्लू (एच1एन1) के मरीजों की स्क्रीनिंग, निदान, उपचार व रोकथाम हेतु पूर्व में भारत शासन द्वारा दी गई प्रोटोकॉल/गाईड लाईन का पालन करना सुनिश्चित किया जावें।
- जिला चिकित्सालय, सिविल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वाईन फ्लू (एच1एन1) केसेस् की स्क्रीनिंग हेतु क्लीनिक का संचालन किया जावे।
- अपने जिले के सभी डॉक्टर्स को इस बीमारी के लक्षण, जांच, उपचार, एवं रोकथाम की जानकारी देते हुए अलर्ट रहने के निर्देश देवे। यह भी समीक्षा कर ले, कि जिला अस्पतालों में स्क्रीनिंग कक्ष एवं ऑइसोलेशन वार्ड की व्यवस्थाऐं समुचित हो। भर्ती स्वाईन फ्लू (एच1एन1) मरीजों के समुचित उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज के पल्मोनरी विशेषज्ञ (Pulmonary

निरंतर———

Expert) से अस्पतालों में विजिट करावे, तथा भारत शासन से प्राप्त गाईड लाईन का पालन हो रहा है इस की भी समीक्षा करें।

- सभी चिन्हित अस्पतालों में स्वाईन फ्लू (एच1एन1) की रोकथाम, निदान, व उपचार के लिये आवश्यक औषधि टेमीफ्लू एवं अन्य सामग्रियों जैसे कि व्ही.टी.एम. किट, एन–95 मास्क, ट्रिपल लेयर मास्क एवं पी.पी.ई. किटस् की समीक्षा करें, एवं इनकी उपलब्धता सुनिश्चित करावे।
- जिले के क्षेत्रिय स्वास्थ्य कार्यकर्ता व आशा अपने ग्राम में प्रतिदिन भ्रमण करें, एवं जिन लोगो में सर्दी–खाँसी, जुकाम, गले में खराश, एवं बुखार के लक्षण हो, उन्हे तत्काल अस्पताल जाने हेतु सलाह दी जायें। जिले की आंगनवाड़ी में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका द्वारा जिन बच्चों को सर्दी–खाँसी हो रही है, उन्हे घर भेजने, तथा आराम करने के साथ ही चिकित्सक को दिखाने हेतु सलाह दी जाये। बच्चों के परिजनों को स्वाईन फ्लू (एच1एन1) के लक्षण एवं इससे बचाव की जानकारी दी जावे। इसी प्रकार आंगनवाड़ियों में जिस दिन गर्भवती महिलाओं की जांच होती है, उन्हे भी स्वाईन फ्लू (एच1एन1) के लक्षण एवं इससे बचाय की जानकारी दी जाये।
- जिले में स्वाईन फ्लू (एच1एन1) की रोकथाम एवं उपचार के बारे में सघन प्रचार–प्रसार करे।
- स्वाईन फ्लू (एच1एन1) की प्रतिदिन रिर्पोटिंग निर्धारित प्रपत्र में एवं एक्शन टेकन रिर्पोट संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं की आई.डी.एस.पी. शाखा के ई–मेल swineflu.mp@gmail.com पर नियमित भेजी जाये।

(डॉ.बी.एन.चौहान)
संचालक
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, म.प्र.

पृ.क्र./आई.डी.एस.पी./19/ भोपाल, दिनांक......................

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. आयुक्त स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, भोपाल, म.प्र.।
3. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल, म.प्र.।
4. समस्त क्षैत्रिय संचालक, संभागीय स्वास्थ्य सेवाऐं, म.प्र.।
5. समस्त कलेक्टर, म.प्र.।
6. समस्त जिला स्वाईन फ्लू नोडल अधिकारी, म.प्र.।
7. समस्त जिला सर्विलेन्स अधिकारी/एपिडिमियोलॉजिस्ट, म.प्र.।
8. समस्त ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर, म.प्र.।

संचालक,
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, म.प्र.

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

सतपुड़ा भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश

E-mail : idspssu@mp.gov.in, Phone : 0755-4094192

क्र./आई.डी.एस.पी./19/55 भोपाल, दिनांक 21/02/2019

प्रति,

क्षेत्रीय संचालक
संभागीय स्वास्थ्य सेवायें,
संभाग– भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर, सागर एवं रीवा
म.प्र.।

विषय :– **सीजनल इन्फ्लूएन्जा एच1एन1 (स्वाईन फ्लू) की जांच, उपचार हेतु चिंहित अस्पताल का निरीक्षण करने के संबंध में।**

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख कि मौसमी बीमारी सीजनल इन्फ्लूएन्जा एच1एन1 (स्वाईन फ्लू) के स्क्रीनिंग एवं उपचार, प्रबंधन हेतु जिला मुख्यालय के चिंहित शासकीय एवं निजी अस्पतालों का तत्काल मेडिकल कॉलेज के सीजनल इन्फ्लूएन्जा एच1एन1 (स्वाईन फ्लू) के नोडल अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक के साथ तत्काल निरीक्षण करें।

इसमें सीजनल इन्फ्लूएन्जा एच1एन1 (स्वाईन फ्लू) की रोकथाम एवं उपचार प्रबंधन हेतु निर्धारित व्यवस्थाऐं, भारत शासन द्वारा दी गई गाईड लाईन एवं प्रोटोकाल का समुचित पालन किया जा रहा है अथवा नहीं इसकी अस्पतालवार समीक्षा की जावे। यदि किसी अस्पताल द्वारा भारत शासन एवं राज्य शासन द्वारा दी गए निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा हो तो अस्पताल संस्थापक को कारण बताओं नोटिस दिया जावेगा।

अतः आपसे अनुरोध है, कि उपरोक्त निरीक्षण करें एवं की गई कार्यवाही से अधोहस्ताक्षकर्ता को दिनांक 22.02.2019 तक ई–मेल idspssu@mp.gov.in के माध्यम से अवगत करावे ।

(डॉ. बी.एन.चौहान)
संचालक, स्वास्थ्य सेवायें
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.

पृ.क्र./आई.डी.एस.पी./19/ भोपाल, दिनांक 21/02/2019

प्रतिलिपिः– कृपया सूचनार्थ ।

1. निज सहायक माननीय मंत्री जी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल म.प्र.।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल म.प्र.।
3. आयुक्त स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल, मध्यप्रदेश।

4. मिशन संचालक, एन.एच.एम., अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल।
5. डीन मेडिकल कॉलेज, भोपाल, जयलपुर, इंदौर, ग्वालियर, सागर एवं रीवा म.प्र.।
6. संबंधित जिला कलेक्टर, म.प्र.।
7. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, म.प्र.।
8. संबंधित सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक, म.प्र.।
9. जिलेवार चिंहित निजी अस्पताल संचालक, म.प्र.।
10. संबंधित जिला सर्विलेंस अधिकारी/जिला एपिडिमियोलॉजिस्ट, म.प्र.।

संचालक, स्वास्थ्य सेवायें
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.

कार्यालय संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं
सतपुड़ा भवन, भोपाल मध्यप्रदेश

प्रति,

क्रमांक/46/IDSP
भोपाल, दिनांक 14/02/2019.

समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश।

विषयः– सीजनल इन्फ्लुएन्जा (एच1एन1) की रोकथाम व उपचार प्रबंधन की व्यवस्था के संबंध में।

प्रदेश में विगत कुछ दिनों में सीजनल इन्फ्लुएन्जा (एच1एन1) के प्रकरणों में कतिपय जिलों में वृद्धि देखने में आयी है। मध्यप्रदेश राज्य से लगे निकटवर्ती राज्यों विशेषकर महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तरप्रदेश एवं राजस्थान में प्रदेश की तुलना में सीजनल इन्फ्लुएन्जा (एच1एन1) का प्रकोप अधिक तीव्र है। अतः आप अपने जिले में सर्तकता वर्तते हुए पुनः जिला टॉस्क फोर्स की बैठक का शीघ्र आयोजन करें । इस बैठक में मेडिकल कालेज के अधीक्षक (यदि है), मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिविल सर्जन एवं चिन्हित प्रायवेट अस्पतालों के प्रबंधकों को बुलावे तथा बैठक में सीजनल इन्फ्लुएन्जा (एच1एन1) की रोकथाम व उपचार प्रबंधन की व्यवस्था की समीक्षा कर ले। सीजनल इन्फ्लुएन्जा (एच1एन1) के नियंत्रण, रोकथाम एवं उपचार के लिये पूर्व में विस्तृत दिशा निर्देश मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को जारी किए गये हैं (प्रति संलग्न)।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देशित करें कि जिले के सभी डॉक्टर्स को इस बीमारी के लक्षण व उपचार की जानकारी देते हुए अलर्ट रहने के निर्देश दे। यह भी समीक्षा कर ले कि अस्पतालों में स्क्रीनिंग कक्ष एवं आईसोलेशन वार्ड सुचारू रूप से कार्यरत है एवं लंबे समय से भर्ती सीजनल इन्फ्लुएन्जा (एच1एन1) मरीजों के उपचार के लिये मेडिकल कॉलेज के विशेषज्ञों से भी कन्सल्ट किया जाए। सभी अस्पतालों में सीजनल इन्फ्लुएन्जा (एच1एन1) की मेडिसिन की उपलब्धता की भी समीक्षा कर ले। सीजनल इन्फ्लुएन्जा (एच1एन1) के "सी" केटेगरी रोगियो का थ्रोट स्वाब (Throat swab) परीक्षण तथा तुरंत टेमीफ्लू टेबलेट शुरू कराया जाना आवश्यक है। हाईरिस्क ग्रुप एवं भारी घनत्व वाले क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिये जाए।

यह समीक्षा की जाए कि जिले की आशा अपने ग्राम में प्रतिदिन भ्रमण करें एवं जिन लोगो में सर्दी–खाँसी, जुकाम, गले में खराश एवं बुखार के लक्षण हो उन्हे तत्काल अस्पताल जाने हेतु सलाह दी जायें। जिले की आंगनवाड़ी में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका द्वारा जिन बच्चों को सर्दी–खाँसी हो रही है उन्हे घर भेजे तथा आराम करने के साथ ही चिकित्सक को दिखाने

निरंतर.......2

हेतु सलाह दी जाये। बच्चों के परिजनों को सीजनल इन्फ्लुएन्जा (एच1एन1) के लक्षण एवं इससे बचाव की शिक्षा दी जावें। इसी प्रकार आंगनवाड़ियों में जिस दिन गर्भवती महिलाओं की जांच होती है उन्हें भी सीजनल इन्फ्लुएन्जा (एच1एन1) के लक्षण एवं इससे बचाव की शिक्षा दी जायें।

सीजनल इन्फ्लुएन्जा (एच1एन1) के प्रकरणों में मृत्यु से बचाव के लिए शीघ्र पहचान एवं समय पर ईलाज शुरू होना महत्वपूर्ण है। साथ ही परिशिष्ट में वर्णित उपाय/व्यवहार परिवर्तन करने से भी रोग का संक्रमण रोका जा सकता है। अनुरोध है कि सीजनल इन्फ्लुएन्जा (एच1एन1) के प्रबंधन एवं रोकने की दिशा में समुचित कार्यवाही की जाए।

13/02

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनलाय स्वास्थ्य सेवाऐं, म.प्र.

पृ.क./आई.डी.एस.पी./19/ भोपाल, दिनांक 14/02/2019

प्रतिलिपिः— कृपया सूचनार्थ ।

1. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल, मध्यप्रदेश।
2. मिशन संचालक, एन.एच.एम., अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल, मध्यप्रदेश।
3. संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, म.प्र.।
4. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाऐं, म.प्र.।
5. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, म.प्र. की ओर पालनार्थ।
6. समस्त जिला सर्वेलेन्स अधिकारी/जिला एपिडिमियोलॉजिस्ट, म.प्र. की ओर पालनार्थ।

आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनलाय स्वास्थ्य सेवाऐं, म.प्र.

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं

सतपुड़ा भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश

E-mail : idspssu@mp.gov.in, Phone : 0755-4094192

क्र./आई.डी.एस.पी./19/39 भोपाल, दिनांक 12/02/2019

प्रति,

1. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
2. समस्त सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक

विषय :– सीजनल इन्फ्लूएन्जा (एच1एन1) का उपचार एवं रोकथाम हेतु पुनः कार्यवाही करने के संबंध में।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि राजस्थान, महाराष्ट्र एवं गुजरात में सीजनल इन्फ्लूएन्जा (एच1एन1) के प्रकरणों में लगातार वृद्धि हो रही है। इन निकटवर्ती राज्यों से प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में भी सीजनल इन्फ्लूएन्जा (एच1एन1) के प्रकरण दर्ज किये जा रहे है। सीजनल इन्फ्लूएन्जा (एच1एन1) का उपचार व रोकथाम हेतु परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए निम्नानुसार पुनः कार्यवाही सुनिश्चित की जाये :–

- सीजनल इन्फ्लूएन्जा (एच1एन1) के मरीजों की स्क्रीनिंग, निदान, उपचार व रोकथाम हेतु पूर्व में भारत शासन द्वारा दी गई प्रोटोकॉल/गाईड लाईन का पालन सुनिश्चित किया जावें।
- अपने जिले के सभी डॉक्टर्स को इस बीमारी के लक्षण व उपचार की जानकारी देते हुए अर्लट रहने के निर्देश देंवे। सस्पीशन इंडेक्स–सभी फ्लू केस के लिए बनाए रखे एवं सीजनल इन्फ्लूएन्जा (एच1एन1) की आशंका होने पर तत्काल उपचार प्रारम्भ कर टेमीफ्लू (Tab oseltamivir) निर्धारित डोज के अनुसार दी जाए।
- उपलब्ध सभी रेसपेरेटरी उपकरणों को संक्रमण मुक्त कर कार्यशील करें। एच1एन1 वायरस सख्त एवं ठोस जगह पर 24 से 48 घंटे तक, कपड़ों एवं पेपरों पर 8 से 12 घंटे तक तथा हाथों पर 15 मिनिट तक जीवित रह सकता है। अतः ओ.पी.डी., स्वाईन फ्लू वार्ड तथा दवाई वितरण काउंटर पर सोडियम हाईपोक्लोराइड (Sodium Hypochloride) से पोंछा/साफ–सफाई करवायें।
- सीजनल इन्फ्लूएन्जा (एच1एन1) के मरीजों हेतु ओ.पी.डी. 24x7 कार्यरत रहे। पल्स ऑक्सीमीटर की व्यवस्था को सुनिश्चित कर लें साथ ही संदिग्ध सीजनल इन्फ्लूएन्जा (एच1एन1) मरीज के लिये आइसोलेशन वार्ड बनाये जाये, जिसमें मेडिकल कॉलेज स्तर पर न्यूनतम 10 पलंग तथा जिला चिकित्सालय में 2 से 5 पलंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।
- सीजनल इन्फ्लूएन्जा (एच1एन1) के थ्रोट स्वाब सेम्पल की जांच की सुविधा क्षेत्रीय जनजाति आयुर्विज्ञान अनुसंधान केन्द्र जबलपुर, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), भोपाल, स्टेट वायरोलॉजी लेब गांधी मेडिकल कॉलेज, भोपाल एवं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डी.आर.डी.ओ.), ग्वालियर में उपलब्ध है। जिलों से सेम्पल एकत्रित कर भेजने की जबावदेही जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को दी गई है। इसके लिए एक कर्मचारी को सेम्पल भेजने हेतु नॉमिनेट करें।

निरंतर...2

- सीजनल इन्फ्लूएन्जा (एच1एन1) की रोकथाम, निदान व उपचार के लिये आवश्यक औषधि टेमीफ्लू एवं अन्य सामग्रीयों जैसे की व्ही.टी.एम. किट, एन–95 मास्क, ट्रिपल लेयर मास्क एवं पी.पी.ई. किटस् समीक्षा करें। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर तक औषधियों की व्यवस्था की जावें।
- यह समीक्षा की जाए कि जिले की आशा अपने ग्राम में प्रतिदिन भ्रमण करें एवं जिन लोगो में सर्दी–खाँसी, जुकाम, गले में खराश एवं बुखार के लक्षण हो उन्हे तत्काल अस्पताल जाने हेतु सलाह दी जावें। जिले की आंगनवाड़ी में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका द्वारा जिन बच्चो को सर्दी–खाँसी हो रही है उन्हे घर भेजे तथा आराम करने के साथ ही चिकित्सक को दिखाने हेतु सलाह दी जाये। बच्चों के परिजनों को सीजनल इन्फ्लूएन्जा (एच1एन1) के लक्षण एवं इससे बचाव की शिक्षा दी जावें। इसी प्रकार आंगनवाड़ियों में जिस दिन गर्भवती माहिलाओं की जांच होती है उन्हे भी सीजनल इन्फ्लूएन्जा (एच1एन1) के लक्षण एवं इससें बचाव की शिक्षा दी जायें।
- निकटवर्ती राज्यों से आवागमन करने वाले लोगो के लिए, जन सामान्य को सीजनल इन्फ्लूएन्जा (एच1एन1) हेतु जागरूक एंव सघन प्रचार–प्रसार करें।
- सीजनल इन्फ्लूएन्जा (एच1एन1) की प्रतिदिन रिपोर्टींग निर्धारित प्रपत्र में संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें की आई.डी.एस.पी. शाखा के ई–मेंल पर नियमित भेजी जाये।

Ajay 12/2/19

(डॉ.अजय बरोनिया)
संयुक्त संचालक, आई.डी.एस.पी.
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.

पृ.क्र./आई.डी.एस.पी./19/ भोपाल, दिनांक 12/02/2019

प्रतिलिपिः– कृपया सूचनार्थ ।

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. आयुक्त स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल, म.प्र.।
3. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल, म.प्र.।
4. समस्त क्षैत्रिय संचालक, स्वास्थ्य सेवाऐं, संभाग, म.प्र.।
5. समस्त कलेक्टर, म.प्र.।
6. समस्त जिला स्वाईन फ्लू नोडल अधिकारी, म.प्र.।
7. समस्त जिला सर्विलेन्स अधिकारी/एपिडिमियोलॉजिस्ट, म.प्र.।

संयुक्त संचालक, आई.डी.एस.पी.
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं

सतपुड़ा भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश

E-mail : idspssu@mp.gov.in, Phone : 0755-4094192

क./आई.डी.एस.पी./19/21 — भोपाल, दिनांक 24/01/2019

प्रति,

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
मध्यप्रदेश।

विषय :– सीजनल इन्फ्लुनजा (एच1एन1) की रोकथाम व उपचार प्रबंधन की व्यवस्था के संबंध में।

संदर्भ :– संचालनालय का पत्र क्रं./आई.डी.एस.पी./19/03 भोपाल दिनांक 04.01.2019
संचालनालय का पत्र क्रं./आई.डी.एस.पी./19/06 भोपाल दिनांक 10.01.2019
संचालनालय का पत्र क्रं./आई.डी.एस.पी./19/12 भोपाल दिनांक 18.01.2019

उपरोक्त विषय में लेख है कि प्रदेश में सीजनल इन्फ्लूएन्जा (एच1एन1) के प्रकरणों में बढ़ोत्तरी हो रही है। संचालनालय के संज्ञान में यह बात सामने आई है कि सीजनल इन्फ्लुनजा (एच1एन1) की रोकथाम एवं उपलब्ध, उपचार प्रबंधन व्यवस्थाओं का समुचित प्रचार–प्रसार नही किया जा रहा है एवं कई जिलों में औषधियों–सामग्रीयों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता नही है।

आप अपने जिले के जिला अस्पताल, सिविल अस्पताल, सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर सीजनल इन्फ्लुनजा (एच1एन1) की रोकथाम एवं उपलब्ध उपचार प्रबंधन व्यवस्थाओं की तत्काल समीक्षा कर अघतन स्थिति का आंकलन करें। जिन संस्थानों में सीजनल इन्फ्लुनजा (एच1एन1) के उपचार हेतु औषधियों–सामग्रियों की उपलब्धता नही है उन संस्थाओं में संचालनलाय के संदर्भित पत्रों में दिये गये निर्देशानुसार औषधियों–सामग्रियों की व्यवस्था कर अघतन स्थिति से अवगत कराना सुनिश्चित करें साथ ही स्वाईन फ्लू की ओ.पी.डी. की रिपोर्टिंग निर्धारित प्रपत्र में संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं की आई.डी.एस.पी. शाखा के ई–मेल opddaily@gmail.com पर प्रतिदिन सायंकाल 3:00 बजे तक नियमित रूप से भिजवाने हेतु निर्देशित करे।

(डॉ. अजय बरोनिया)
संयुक्त संचालक, आई.डी.एस.पी.
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, म.प्र.

पृ.क./आई.डी.एस.पी./19/22 — भोपाल, दिनांक 24/01/2019

प्रतिलिपि:– सूचनार्थ।

1. प्रमुख्य सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, म.प्र.।
2. आयुक्त स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, म.प्र.।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम. अरेरा हिल्स जेल रोड, भोपाल, म.प्र.।
4. समस्त क्षेत्रीय संचालक, संभागीय स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश।
5. समस्त सिविल सर्जन सह–अस्पताल अधीक्षक, म.प्र.।
6. समस्त जिला सर्विलेन्स अधिकारी, म.प्र.।

संयुक्त संचालक, आई.डी.एस.पी.
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, म.प्र.

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं

सतपुड़ा भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश

E-mail : idspssu@mp.gov.in, Phone : 0755-4094192

क./आई.डी.एस.पी./19/19 भोपाल, दिनांक 24/01/2019

प्रति,

समस्त क्षेत्रीय संचालक,
संभागीय स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश।

विषय :- सीजनल इन्फ्लुनजा (एच1एन1) की रोकथाम व उपचार प्रबंधन की व्यवस्था के संबंध में।

संदर्भ :- संचालनालय का पत्र क्रं./आई.डी.एस.पी./19/12 भोपाल दिनांक 18.01.2019

उपरोक्त विषय में लेख है कि प्रदेश में सीजनल इन्फ्लूएन्जा (एच1एन1) के प्रकरणों में बढ़ोत्तरी हो रही है। संचालनालय के संज्ञान में यह बात सामने आई है कि सीजनल इन्फ्लुनजा (एच1एन1) की रोकथाम एवं उपलब्ध, उपचार प्रबंधन व्यवस्थाओं का समुचित प्रचार-प्रसार नही किया जा रहा है एवं कई जिलों में औषधियों-सामग्रीयों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता नही है।

सीजनल इन्फ्लूएन्जा (एच1एन1) के उपचार एवं प्रबंधन हेतु अपने संभाग के जिलों की समीक्षा कर सीजनल इन्फ्लुनजा (एच1एन1) की रोकथाम एवं उपलब्ध उपचार प्रबंधन व्यवस्थाओं की अघतन स्थिति का आंकलन किया जावे। जिन जिलों में उपचार प्रबंधन व्यवस्थाएं अपूर्ण एवं औषधियों-सामग्रियों की उपलब्धता नही है उन जिलों को तत्काल आवश्यकतानुसार औषधियों-सामग्रियों की उपलब्धता, भण्डार क्रय नियमों का पालन करते हुए क्रय करने के लिए निर्देशित किया जावें। साथ ही समस्त जिलों को भारत शासन से प्राप्त सीजनल इन्फ्लूऐंन्जा (एच1एन1) की गाईडलाईन विकासखण्ड स्तर तक उपलब्धता, सर्दी-खांसी स्क्रीनिंग कक्ष, पल्स ऑक्सीमीटर एवं आइसोलेशन वार्ड की व्यवस्था भी सुनिश्चित करे।

स्वाईन फ्लू की ओ.पी.डी. की रिपोर्टिंग निर्धारित प्रपत्र में सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के माध्यम से संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं की आई.डी.एस.पी. शाखा के ई-मेल opddaily@gmail.com पर प्रतिदिन सायंकाल 3:00 बजे तक नियमित रूप से भिजवाने हेतु निर्देशित करे।

(डॉ. अजय बरोनिया)
संयुक्त संचालक, आई.डी.एस.पी.
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, म.प्र.

पृ.क./आई.डी.एस.पी./19/ भोपाल, दिनांक 24/01/2019

प्रतिलिपिः- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. प्रमुख्य सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, म.प्र.।
2. आयुक्त स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, म.प्र.।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम. अरेरा हिल्स जेल रोड, भोपाल, म.प्र.।
4. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, म.प्र.।
5. समस्त जिला सर्विलेन्स अधिकारी, म.प्र.।

संयुक्त संचालक, आई.डी.एस.पी.
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, म.प्र.

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं

सतपुड़ा भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश

E-mail : idspssu@mp.gov.in, Phone : 0755.4094192

क्र./आई.डी.एस.पी./19/12 भोपाल, दिनांक 18/01/2019

प्रति,

1. समस्त क्षेत्रीय संचालक, संभागीय स्वास्थ्य सेवाऐं, म.प्र.
2. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, म.प्र.
3. सिविल सर्जन सह–अस्पताल अधीक्षक, म.प्र.

विषय :– स्वाईन. फ्लू/सीजनल इन्फ्लुनजा (एच1एन1) की रोकथाम व उपचार प्रबंघन व्यवस्थाओं के संबंध में।

संदर्भ :– संचालनालय का पत्र क्रं./आई.डी.एस.पी./19/03 भोपाल दिनांक 04.01.2019
संचालनालय का पत्र क्रं./आई.डी.एस.पी./19/06 भोपाल दिनांक 10.01.2019

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ के संबंध में लेख है कि विभिन्न राज्यों, जिसमें मध्यप्रदेश भी सम्मिलित है, में सीजनल इन्फ्लुनजा (एच1एन1) के व इससे मृत्युओं के प्रकरणों में वृद्धि हो रही है।

उपरोक्त के संबंध में आपको से सीजनल इन्फ्लुनजा (एच1एन1) की रोकथाम, प्रचार–प्रसार की गतिविधियों एवं सीजनल इन्फ्लुनजा (एच1एन1) के प्रकरणों की स्क्रीनिंग एवं उपचार प्रबंधन हेतु संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं के निर्देशित संदर्भ पत्रों द्वारा दिशा निर्देश दिये गये है।

उपरोक्त के संबंध में संचालनालय के संज्ञान में यह बात सामने आई है कि सीजनल इन्फ्लुनजा (एच1एन1) की रोकथाम एवं उपचार प्रबंधंन व्यवस्थाओं का समुचित क्रियान्वयन नही किया जा रहा है।

स्वाईन फ्लू/सीजनल इन्फ्लुनजा (एच1एन1) के केस स्क्रीनिंग हेतु जिला अस्पताल, सिविल अस्पताल व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर पृथक से स्क्रीनिंग कक्ष का निर्माण कर, संचालित किया जाना सुनिश्चित करें, एवं इसका रिकॉर्ड संधारण भी किया जावें।

जहां–जहां सीजनल इन्फ्लुनजा (एच1एन1) के उपचार हेतु रोगियों को भर्ती कर उपचार किया जा रहा है, वहां आइसोलेशन वार्ड में आवश्यक औषधीयां व उपचार प्रबंधंन (वेन्टीलेटर) की उपलब्धता सुनिश्चित की जावें।

केस स्क्रीनिंग में 'ए' केटेगिरी के रोगियों को भारत शासन के दिशा निर्देशों के अनुसार, परामर्श व उपचार दिया जावें। 'बी' केटेगिरी के रोगियों का चिन्हाकन कर, उन्हे टेमीफ्लू से उपचार दिया जावें। 'सी' केटेगिरी के रोगियों की जांच हेतु तत्काल सेम्पल एकत्र करें, तद्उपरान्त टेमीफ्लु का उपचार दिया जावें।

निरन्तर.......2

संचालनालय के संज्ञान में यह बात भी आयी है कि सीजनल इन्फ्लुनजा (एच1एन1) की स्क्रीनिंग, निदान एवं उपचार प्रबंधन के अंतर्गत आवश्यक औषधीयां–सामग्रीयां की उपलब्धता विभिन्न जिलों में नहीं अथवा अपर्याप्त है।

उपरोक्त उल्लेखित के संबंध में लेख है कि वर्तमान शीतकालीन मौसम में सीजनल इन्फ्लुनजा (एच1एन1) के अधिक प्रकरण होने की संभावना है, अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अपने जिले में सीजनल इन्फ्लुनजा (एच1एन1) की रोकथाम व उपचार प्रबंधन व्यवस्थाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करें तथा प्रचार–प्रसार की आई.ई.सी. (IEC) गतिविधियां करायी जावे।

(डॉ.बी.एन.चौहान)
संचालक
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं,म.प्र.

पृ.क./आई.डी.एस.पी./19/ भोपाल, दिनांक /01/2019

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ ।

1. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल, म.प्र.।
2. आयुक्त स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, भोपाल, म.प्र.।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम., अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल, म.प्र.।
4. समस्त जिला कलेक्टर, म.प्र.।
5. समस्त जिला सर्विलेन्स अधिकारी, म.प्र.।

संचालक
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं,म.प्र.

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

सतपुड़ा भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश

E-mail : idspssu@mp.gov.in, Phone : 0755-4094192

क./आई.डी.एस.पी./19/03 भोपाल, दिनांक 04-1-2019

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर,
   मध्यप्रदेश।

2. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
   मध्यप्रदेश।

विषयः— सीजनल इन्फ्लूएन्जा (एच1 एन1) का उपचार, रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु कार्यवाही करने के संबंध में।

==0==

उपरोक्त विषय में लेख है कि मौसम के बदलाव के कारण सीजनल इन्फ्लूएन्जा (एच1एन1) के प्रकरण होने की संभावना होती है। अतः आप अपने जिलों में सतत् सर्तक रहने एवं संभावित एच1एन1 के मरीजों की स्क्रीनिंग, निदान, उपचार व रोकथाम हेतु दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश देवे। सीजनल इन्फ्लूएन्जा (एच1एन1) की रोकथाम व उपचार हेतु भारत शासन के द्वारा दिये गये प्रोटोकाल/गाईड लाईन का पालन अवश्य सुनिशिचित किया जावे जो निम्नानुसार है :—

संभावित सीजनल इन्फ्लूएन्जा (एच1एन1) रोगी को तीन श्रेणी (ए,बी,सी) में बांटा गया है।

सं.क्र.	केटेगरी	लक्षण	उपचार
1.	"ए" श्रेणी	1. रोगियों को सामान्य सर्दी— जुखाम, हल्का बुखार, उल्टी दस्त एवं बदन दर्द 2. "ए" श्रेणी के लक्षण वाले हाई रिस्क मरीजों जैसे कि 5 साल तक आयु के बच्चों, 65 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग, गर्भवती माताऐं तथा फेफड़ें, हृदय, लीवर, गुर्दा, मधुमेह, कैंसर, जो मरीज लम्बे समय से Cortisone ले रहे हो आदि लम्बी बीमारियों वाले मरीज।	1. लक्षणों के अनुसार दवाईयां देवें।रोगी को घर पर रहकर आराम करने एवं भीड़— भाड़ स्थानों पर न जाने की सलाह देवें। 24 से 48 घंटो तक निगरानी मे रखे आराम न मिलने पर डॉक्टर की सलाह ली जाये।घर पर हाई रिस्क सदस्यों से दूरी बनायें रखें। 2. तत्काल टेमीफ्लू देवे तथा मरीज को घर पर आराम करने की सलाह दी जाती है। भीडवाले स्थानों पर न जाने की सलाह देवें। 24 से 48 घंटो तक निगरानी मे रखे आराम न मिलने पर डॉक्टर की सलाह ली जाये।
2.	"बी" श्रेणी	उपरोक्त श्रेणी "ए" के लक्षणों के साथ ही तेज बुखार, सांस लेने में तकलीफ हो।	टेमीफ्लू दी जाकर, मरीज को घर पर आराम करने की सलाह दी जाती है। भीडवाले स्थानों पर न जाने की सलाह देवें। घर पर हाई रिस्क सदस्यों से दूरी बनायें रखें। 24 से 48 घंटो तक निगरानी मे रखे आराम न मिलने पर डॉक्टर की सलाह ली जाये।

—निरंतर—

3.	"सी" श्रेणी	मरीजों में "ए" और "बी " श्रेणी के मरीजों के लक्षण के साथ साथ, सांस लेने में तकलीफ, छाती में दर्द, खकार में खून आना, नाखून नीले पडना, आदि लक्षण होते है। बच्चो में चिड़–चिड़ापन और खाने–पीने से इन्कार करना। उक्त लंबी बीमारियों का बढना।	रोगियो को अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कर स्वाईन फ्लू (एच1एन1) का उपचार टेमीफ्लू व अन्य तकलीफ एवं बीमारी के हिसाब से उपचार दिया जाना होता है। इन रोगियों की स्वाईन फ्लू (एच1एन1) की जांच हेतु थ्रोट स्वाब लेकर लेबोरेटरी में भेजा जाता है। पी.पी.ई. किटस का उपयोग सभी आवश्यक रूप से करे जो मरीज की देखभाल एवं सम्पर्क में आयेगें।

- उपलब्ध रेसपेरेटरी के उपकरणों का डिसइंफेक्शन व सफाई सुनिश्चित कर लें।
- सीजनल इन्फ्लूएन्जा (एच1एन1) के मरीजों हेतु ओ.पी.डी. 24X7 कार्यरत रहे। पल्स ऑक्सीमीटर की व्यवस्था को सुनिश्चित कर लें। साथ ही संदिग्ध सीजनल इन्फ्लूएन्जा (एच1एन1) मरीज के लिये आइसोलेशन वार्ड बनाये जाये, जिसमें मेडिकल कॉलेज स्तर पर न्यूनतम 10 पलंग तथा जिला चिकित्सालय में 2 से 5 पलंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।
- **संदिग्ध सीजनल इन्फ्लूएन्जा (एच1एन1) के मरीजों के सेम्पल भेजने की जिम्मेदारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की रहेगी।**
- आप अपने जिलों में आवश्यकतानुसार स्वाईन फ्लू की औषधियों एवं सामग्रियों का आंकलन करें।
- टेमीफ्लू 75 एम.जी. की टेबलेट कम से कम जिला चिकित्सालयों में 500, सिविल अस्पतालों में 250, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में 100 एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में 50 की उपलब्धता सुनिश्चित करें।
- सीजनल इन्फ्लूएन्जा (एच1एन1) की रोकथाम निदान व उपचार के संबंध में आमजन को आवश्यक जानकारी प्रचार–प्रसार के माध्यम से दी जावे।
- आमजन व स्कूल/कॉलेज के विद्यार्थियों को, यदि सामान्य सर्दी जुखाम की तकलीफ हो तो उसका उपचार योग्यताधारी चिकित्सक से लेवें, तथा यथासंभव दो–तीन दिन तक घर पर आराम भी करें।

—निरंतर—

अतः जिस स्थान से ए.आर.आई. के प्रकरण अधिक रिपोर्ट किये जा रहें है। उन स्थानों पर जिले की रेपिड रिस्पॉन्स टीम भेजकर सर्वे किया जावें। सीजनल इन्फ्लूएन्जा (एच1एन1) के मरीजों की स्क्रीनिंग, निदान, उपचार एवं रोकथाम हेतु पूर्व में भारत शासन द्वारा दी गई प्रोटोकॉल/गाईड लाईन का पालन सुनिश्चित करें। सीजनल इन्फ्लूएन्जा (एच1एन1) प्रकरण की विस्तृत रिपोर्ट IDSP के E-mail ID :- idspssu@mp.gov.in & Phone No. 0755-4094192 द्वारा संचालनालय को शीघ्रताशीघ्र उपलब्ध कराई जावे।

Ajay 4.1.19.

(डॉ. अजय बरोनिया)
संयुक्त संचालक, आई.डी.एस.पी.
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.

क्र./आई.डी.एस.पी./19/ भोपाल, दिनांक.....................

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ ।

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, म.प्र.।
2. आयुक्त स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.।
3. मिशन संचालक, एन.आर.एच.एम., अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल।
4. संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.।
5. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें , मध्यप्रदेश।
6. समस्त मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल अधीक्षक म.प्र.।
7. समस्त सिविल सर्जन सह–मुख्य–अस्पताल अधीक्षक, म.प्र.।
8. समस्त जिला स्वाईन फ्लू नोडल अधिकारी, म.प्र.।
9. समस्त जिला एपिडिमियोलॉजिस्ट, मध्यप्रदेश।

संयुक्त संचालक, आई.डी.एस.पी.
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.